ई0–मेल सर्वोच्च प्राथमिकता/समयबद्ध

प्रेषक,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0,
620–इन्दिरा भवन, लखनऊ।

सेवा में,

1–समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।
2–समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0।

पत्रॉक 3548/अ0सं0क0नि0–1073/रा0पो0छात्र0/आधार लिंकेज/2018 दिनांक 30 दिसम्बर, 2019

विषय–: छात्रों के आधार नम्बर अपडेट कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 के पत्र संख्या–सी0–487/स0क0/शिक्षा–अ/3/159/2019–20 दिनांक 16.05.2019, पत्रांक सी0–580/स0क0/शिक्षा–अ/3/159/2019–20 दिनांक 23.05.2019 एवं पत्र संख्या–3460–62/स0क0/शिक्षा–अ/3/159/2019–20 दिनांक 13.12.2019 **(छायाप्रति संलग्न)** जो समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारियों को सम्बोधित एवं समस्त जिलाधिकारी/मण्डलीय उप निदेशक समाज कल्याण, उ0प्र0 को भी पृष्ठांकित है, का सन्दर्भ ग्रहण करें। जिसके द्वारा सोशल सेक्टर के अधीन विभाग में संचालित केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा राज्य पोषित छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रों के आधार नम्बर का ऑथेन्टिकेशन होने के पश्चात ही ऑन–लाइन आवेदन किये जाने की व्यवस्था के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश निर्गत किये गये हैं।

उल्लेखनीय है कि इस व्यवस्था के अन्तर्गत सोशल सेक्टर के अधीन अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में संचालित राज्य पोषित छात्रवृत्ति योजना में भी समान रूप से छात्र का आधार नम्बर, छात्र का नाम, पिता/पति का नाम, लिंग व जन्म तिथि का मिलान भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) से ऑन–लाइन मिलान किया जायेगा। यदि उक्त डेटा का मिलान होता है तभी छात्र का आवेदन पत्र छात्र स्तर से अग्रसारित होगा। आधार कार्ड में उक्त विवरणों में कतिपय डाटा गलत हो सकतें हैं। जिनके शुद्धिकरण कराये जाने की आवश्यकता छात्रों को होगी। इस सम्बन्ध में छात्रों, उनके माता–पिता व शिक्षण संस्थानों का जागरूक किया जाना है ताकि यदि आधार कार्ड में कोई गलत डाटा है तो उसको सम्बन्धित आधार कार्ड कार्यालय से शुद्ध करा लें।

वित्तीय वर्ष 2020–21 से छात्रों के आवेदन पत्र आधार नम्बर ऑन–लाइन वेरीफिकेशन के पश्चात सब्मिट किये जाने की व्यवस्था की जा रही है। इस प्रकिया में छात्र द्वारा भरे गये आधार नम्बर, छात्र का नाम, पिता/पति का नाम व लिंग तथा जन्म तिथि का सत्यापन होने के पश्चात आधार नम्बर से लिंक मोबाइल नम्बर पर ओ0टी0पी0 भेजा जायेगा। उक्त ओ0टी0पी0 को आवेदन पत्र में भरने के उपरान्त आवेदन पत्र सब्मिट किया जा सकेगा।

उपरोक्त प्रकार की कार्यवाही किये जाने हेतु छात्रों के स्तर पर निम्न कार्यवाही किया जाना है:–

1– सभी छात्रों के पास आधार नम्बर उपलब्ध होना चाहिये, जिन छात्रों के पास आधार नम्बर नही हैं उन्हें प्रत्येक दशा में आधार कार्ड बनवा लेना चाहिये।

2– जिन छात्रों के पास आधार कार्ड उपलब्ध है। तत्क्रम में आधार कार्ड को अपने मोबाइल नम्बर से लिंक करा लें।

O
Kindly arrange to upload on student portal. "Notice for Minority scholarship regarding Adhar No update." @hauhan 01/7/2020

संकाय प्रभारी (छात्रवृत्ति)
30.6.2020

DMWO 15

3– हाई–स्कूल अंकपत्र/प्रमाण–पत्र में अंकित अपने नाम तथा अपने माता–पिता/पति का नाम के अनुरूप ही आधार कार्ड में अपना व माता–पिता का नाम अपडेट करा लें।

4– हाई–स्कूल अंकपत्र/प्रमाण–पत्र में अंकित जन्म तिथि को आधार कार्ड में अपडेट करा लें।

5– आधार कार्ड में यदि लिंग (जेण्डर) गलत है तो उसको शुद्ध करा लें।

अतः उपरोक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता हैं कि प्रश्नगत प्रकरण में शासन की मंशा के अनुरूप उक्त कार्यों के कियान्वयन हेतु अपने जनपद के समस्त शिक्षण संस्थाओं को अवगत कराने एवं स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से निःशुल्क व्यापक प्रचार–प्रसार कराना सुनिशित करें।

कृपया इसे अभीष्ट प्राथमिकता प्रदान की जाय।

संलग्नक यथोपरि।

भवदीय

/

(मनोज सिंह)
निदेशक

पृष्ठॉकन संख्या व दिनॉक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. निदेशक, समाज कल्याण विभाग/पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उ0प्र0।
4. उप महानिदेशक एवं राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई) तृतीय तल योजना भवन, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
6. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
7. समस्त उप निदेशक/मण्डलीय अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।

(मनोज सिंह)
निदेशक